1

प्रतिवेदन

परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत दैचोरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दैचोरी देगॉव मोटर मार्ग का निर्माण।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत दैचोरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दैचोरी देगॉव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1822 (ए)/ III (2)/17–60 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.08.2017 द्वारा 1.00 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 10.24 लाख की प्राप्त हुई है। प्रस्तावित कार्य की आरक्षित वन भूमि में वास्तविक लम्बाई 450 मी0 है तथा सिविल सोयम भूमि 0.00 मी0 है। यह मार्ग दैचोरी देगॉव नया पाण्डेगॉव को आपसे में जोड़ने वाला मार्ग है। उक्त कार्य का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि कम से कम भूमि प्रभावित हो।

उक्त कार्य में आरक्षित व सिविल सोयम भूमि पड़ती है। मार्ग निर्माण हेतु 450 मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौडाई में आरक्षित वन भूमि एवं 0.00 मी0 लम्बाई एवं 0.00 मी0 चौडाई में सिविल सोयम भूमि में मार्ग का संरेखण किया गया है। मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि कम से कम चौडाई में वृक्ष प्रभाावित हो सके। समरेखन नं0 2 को अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण निरस्त किया गया है तथा समरेखन नं0 1 में कम से कम वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त माना गया है तथा ग्राम दैचोरी, देगॉव व नया पाण्डेगॉव के निवासियों के आवागमन की सुविधा प्रदान होगी तथा यह एक प्रस्तावित मार्ग है। मार्ग के समरेखन में कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि धार्मिक स्थान नहीं पड़ते है। मार्ग का भू–गर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा कराष्या गया है। (आख्या पृष्ठ पर संलग्न है)। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समरेखन को उपयुक्त बताया गया है तथा इस संरेखण में विभिन्न प्रजाति के कुल 37 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिनकी गणना 7.00 मी0 चौडाई में की गयी है। प्रभावित वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।

अतः प्रश्नगत मार्ग जिसमें वन भूमि 0.4050 है0, का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने की कृपा करे।

(इं0 शखावत)
सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

संख्या–1822/III(2)/17–60(एम0एल0ए0)/2017

(3)

Diary No. 1570
File No. 510
Date 28/8/2017

(2)

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त [illegible]चिव
उत्तरा[illegible]

सेवा में,

प्रमुख अ[illegible]भियन्ता,
लोक नि[illegible]
देहरादू[illegible]

देहरादून : दिनांक 23 अगस्त 2017

लोक निर्माण अनु[illegible]–2

विषयः– वित्तीय [illegible]र्ष 2017–18 में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–कालाढूंगी के विकासखण्ड कोटाबा[illegible] के अन्तर्गत देचौरी दैगांव नया पाण्डेगांव में आनन्द सिंह के घर से रा0पू0मा0 वि0 देचौरी [illegible] गांव की सड़क के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वी[illegible]ति।

महोदय,

उपर्युक[illegible] विषय[illegible] कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उ[illegible] मोट[illegible] कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 1.00 किमी0 तथा ला[illegible] ₹ 10.24 लाख [illegible] विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 10.24 लाख (₹ दस लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान [illegible] हुए [illegible] वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके [illegible]र्तन पर [illegible] श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त [illegible]कृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा त[illegible]परान्त शासनादेश सं0– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसा[illegible] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोज[illegible] रिपो[illegible] अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगण[illegible] विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे [illegible]डियूल [illegible] स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अध[illegible] अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य [illegible] किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय[illegible] प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्[illegible] आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य [illegible]राने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग [illegible] प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगण[illegible] में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्[illegible] कदापि [illegible]

(vi)– स्वीकृ[illegible] [illegible] उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय प[illegible] निर्गत [illegible] निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निदे[illegible] का [illegible]

(vii)– मुख्य [illegible] शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 [illegible] आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनि[illegible]

(viii)– [illegible] यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो॰ नि॰ वि॰

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत वि जा वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यो के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान मे धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत (चालू कार्यों) में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेश आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.50 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग के शासनादेश सं0–183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S170822025 दिनांक 22 2017 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–800 सड़क निर्माण –03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–342(A) / XXVII/(2)/2017 दिनांक 21 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या–1822(1) / III(2) / 17–60(एम0एल0ए0) / 2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक.), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / नैनीताल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर।
11. गार्ड बुक

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

(47)

परिशिष्ठ
(देखिये नियम 6)
फार्म "क"
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाने के लिये)

1	परियोजना का विवरण		
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियाजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत दैचोरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दैचोरी देगॉव मोटर मार्ग का निर्माण।
(ii)	1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को द र्शाने वाला मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	:	₹ 10.24 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होने के साथ सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ जायेगे। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
(v)	लागत लाभ वि ले ाण (संलग्न किए जाने के लिये)।	:	आवश्यकता नही है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	:	फल / सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, मुर्गी पालन / पशु पालन में वृद्धि होगी। पर्यटन बढ़ेगा एवं अन्य छोटे–छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्दे यवार विवरण।	:	(see table below)

भूमि का प्रकार	प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम	कुल भूमि
आरक्षित वन भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढूंगी रेन्ज	0.4050 है0
सिविल सोयम वन भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढूंगी रेन्ज	0.0000 है0
कुल		0.4050 है0

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:	शून्य
(i)	परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(ii)	अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(iii)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आव यक है ? (हॉ/नही)	:	नहीं
5	प्रति पूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)	:	संलग्न है।
6	निर्दे ाों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	:	संलग्न है।

दिनांक –

स्थान – रामनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
रामनगर

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
रामनगर (नैनीताल)

5

भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	: उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	: नैनीताल।
(iii)	वन प्रभाग	: रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)।	: (see table below)

भूमि का प्रकार	प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम	कुल भूमि
आरक्षित वन भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज	0.4050 हे0
सिविल सोयम वन भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज	0.0000 हे0
	कुल	0.4050 हे0

(v)	वन भूमि की कानूनी स्थिति	: आरक्षित वन भूमि।
(vi)	हरियाली का घनत्व	: 0.4 एन0पी0वी0 की धनरा ि
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल– 8 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल–4 मीटर भी संलग्न की जाय।	: सूची संलग्न
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	: शून्य
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	: वन सीमा से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म रा ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का मार्ग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाए)	:
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशि ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	: नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रति ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	: नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	: अन्य कोई बैकल्पिक भूमि न होने के कारण आरक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दो ी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	: *नहीं*

(6)

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा		
(i)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	:	*नहीं*
(ii)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	:	*नहीं*
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि।	:	प्रजाति कार्यान्वयन एजेंसी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	:	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)।	:	आव यकता नही है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विषे तः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	:	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:	679400.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	:	402640 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	:	सं0 एवं है0 क्षेत्र
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:	529.2399 है0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	:	रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि परन	:	रिक्त
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।		
	(क) वन भूमि पर	:	है0
	(ख) वनेतर भूमि पर	:	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशे ा सिफारिश।	:	

हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

नाम
सरकारी मोहर

भाग–3
(संबधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये परीक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

या संबंधित वन संरक्षक भाग–2 में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग–4

अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

साथ प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत निर्दिष्ट सिफारिशें:

तत्समय, संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट दी जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी भी दी जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग—5

(वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिफारिश :

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर